

# Order Sheet [Contd]

Case No 246/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
10.07.2017	<p>आवेदक/अभियुक्त राजेश की ओर से श्री के०पी०राठौर अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड से अप०क्र० 151/17 धारा 363, 366, 376(1)डी भा.द.वि एवं धारा 5/5 पॉक्सो एक्ट की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत। आवेदक/अभियुक्त दिलीपसिंह की ओर से श्री के०पी०राठौर अधिवक्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ पेश कर निवेदन किया कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध फरियादी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर मिथ्या अपराध कायम कर लिया है, जिससे कि आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक अपने घर में अकेला कमाने वाला सदस्य है। यदि अधिक समय तक निरोध में रहा तो उसके परिवार के सामने भूखों मरने की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदक को उचित नियमित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। आरोपी लम्बे समय से अभिरक्षा में है। अनुसंधान में सहयोग करने का आश्वासन दिया है और इन्हीं आधारों पर जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर सहआरोपी रिकू के साथ मिलकर वल पूर्वक 15 वर्षीय अभियोक्त्री उमा का अपहरण/व्यपहरण कर जंगल में ले जाने तत्पश्चात् वल पूर्वक अहमदाबाद ले जाने और बलात्संग कारित करने का गंभीर आरोप है। प्रकरण में अनुसंधान चल रहा है। अतः अपराध की गंभीरता उपलब्ध रिकार्ड को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को वापस की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद</p>	